III/निग0/सीधी/2017/421 (291) (415)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर,

श्रृंखला न्यायालय रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

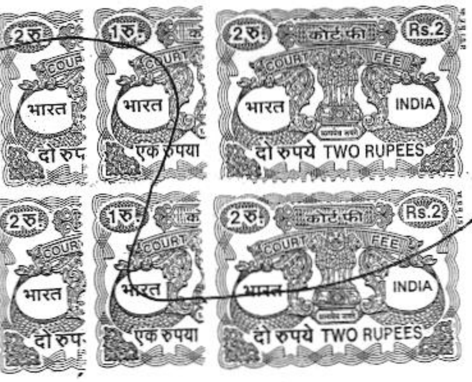

Rs 30/-

श्रीमती जहीदुनिशा पत्नी श्री मो0 यासीन उर्फ छोटे मुसलमान उम्र–52 वर्ष, निवासी ग्राम कोतरकला सीधी, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

————आवेदिका

बनाम

1. तौहीद अंसारी पिता श्री नेक मोहम्मद साकिन सीधी कला वार्ड क्रमांक 19, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

2. मध्यप्रदेश शासन

————अनावेदकगण

अधि0 श्री कान्त मण्डला द्वारा पेश 6.11.17

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी मध्यप्रदेश के राजस्व प्रकरण क्रमांक 9/अ–5/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2016 जिसके तहत नितान्त अवैधानिक तरीके से नक्शा तर्मीम प्रस्ताव पंचनामा प्रतिवेदन एवं बयनामा में अंकित चौहद्दी के विपरीत नक्शा तर्मीम का आदेश पारित किया गया है को निरस्त किये जाने।

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

अ– यह कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम सीधी कला तहसील गोपदबनास, जिला सीधी की आराजी नम्बर 54/3 रकवा 22X59 वर्गफिट अर्थात् 0.012 हे0 के नक्शा तर्मीम किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस आवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्व उपरान्त राजस्व निरीक्षक को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन पंचनामा व नक्शा

(291)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/नि०/सीधी/2017/4211 जिला सीधी

श्रीमती जहीदुन्निशा विरूद्ध तौहिद अंसारी

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री कामता प्र० गुप्ता अधिवक्ता द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील चोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 09/अ-5/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31.03.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 26.03.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

उपरान्त राजस्व निरीक्षक को स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन पंचनामा व नक्शा